

सं. 02/12/2016-शीर्षक  
भारत सरकार  
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय  
(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)  
पश्चिमी खण्ड - 8, विंग सं0 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली - 110066

\*\*\*\*\*


दिनांक : 14 फरवरी, 2017

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 31 जनवरी, 2014 से पूर्व आर.एन.आई. द्वारा सत्यापित ऐसे शीर्षक जिन्हें आवश्यक कागजात के लिए विसंगति पत्र जारी किया गया था, उनके शीर्षक इस सूचना के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के बाद डी ब्लॉक कर दिये जाएंगे यदि प्रकाशक ने आगामी 30 दिनों के भीतर पंजीयन हेतु पूर्ण कागजात प्रस्तुत नहीं किये।

इस आदेश के जारी होने के 30 दिनों के बाद प्राप्त हुए कागजात पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसे प्रेस पंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(हिमानी सारद)  
उप प्रेस पंजीयक

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

सेवा में,

एन.आई.सी. से अनुरोध है कि कृपया इसे हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आर.एन.आई. की वेबसाईट पर अपलोड कर दें।

No.02/12/2016-TC  
Government of India  
Office of the Registrar of Newspapers for India  
(Ministry of Information & Broadcasting)  
West Block -8, Wing -2, R.K. Puram, New Delhi-66  
\*\*\* \*\* \*\*\*


New Delhi, 14<sup>th</sup> February 2017

**NOTICE**

It is hereby informed that all titles verified by RNI with verification date prior to 31<sup>st</sup> January 2014 where Discrepancy letters were issued for want of necessary documents will be deblocked after 60 days from the date of this order incase the publisher does not submit the complete documents for registration of the title within the next 30 days.

Any document received after 30 days from the date of issue of this order will not be entertained.

This issues with the approval of Press Registrar.



(Himani Sarad)  
Deputy Press Registrar  
Registrar of Newspapers for India